E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2216 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 11 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़
देहरादून।

विषय– जनपद –रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (PROPOSAL NO. FP/UK/ROAD/31257/2018)

सन्दर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक 1780/12–1 दिनांक 28–01–2023 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1780/12-1 दिनांक 28.01.2023 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की बिंदुवार अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त ऑनलाइन अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपलोड कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2216 / 11-03-25 दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–3 उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1780 /FP/UK/ROAD/31257/2018 :देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/04/2020/एफ0सी0/2501 दिनांक–07.02.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। शासन के पत्रांक 1365 दिनांक 29–12–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1031/12–1 दिनांक 20.10.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई जो कि निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा 1230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 18,00,720.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02– 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02– 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 5,19,675.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

6

Scanned with OKEN Scanner

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप मे मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 5,19,675.00 तथा 1230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 49,16,757.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 23,20,395.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	State Government will upload the map indicating location of alternative examined at para D (ii) (a), Part-I online.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित वैकल्पिक समरेखण से सम्बन्धित मानचित्र प्रस्ताव में यथा स्थान अपलोड किया जा चुका है।
7	राज्य शासन द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरक्षित योजना प्रस्तुत की जायेगी तथा चयनित क्षेत्र का विवरण एवं Kml file इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेशित आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-1780 / FP/UK/ROAD/31257/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को उनके पत्रांक 1031/12-1 दिनांक 20-10-2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

25/01/23
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

Scanned with OKEN Scanner

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 2064 / 12—1 दिनांक, पौड़ी, फरवरी 14 ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय— जनपद—रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़—जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/31257/2018

सन्दर्भ— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी./यू.सी.पी./06/04/2020/एफ.सी./2501 दिनांक 07.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2474/12—1(2) दिनॉक 27.01.2023 (संलग्न) से अवगत कराया गया कि सन्दर्भित पत्र से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ ने अपने पत्रांक 3021/13—सी0 दिनांक 09.11.2022(संलग्न) से प्रभागीय कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:—

क्र0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2474/12—1(2) दिनॉक 27.01.2023 से अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) **रुपये 18,00,720.00 (अट्ठारह लाख, सात सौ बीस)** मात्र कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक—1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि **रुपये 5,19,675.00 (पांच लाख, उन्नीस हजार, छः सौ पिचत्तर)** मात्र कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक—1 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक—2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online ~~[illegible]~~ जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। **(संलग्नक—1 के अनुसार)**

JAIDEEP सा0 अधि0/प्रा0/रुद्रप्रयाग
ज्ञा0का0कार
स0प्र0व0सं0/नो0अधि0
22-2-2023

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 4306
पत्रांक सं0 25
दिनांक 17-2-23

Scanned with OKEN Scanner

5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. will upload the map indicating location of alternative examined at para D(ii)(a), Part I online.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक संरेखण से संबंधित मानचित्र छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–3)**
7	राज्य शासन द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत की जायेगी तथा चयनित क्षेत्र का विवरण एवं KML file इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि 1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना **(संलग्नक–4)**, वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का गूगल मानचित्र **(संलग्नक–5)** उपयुक्तता प्रमाण पत्र **(संलग्नक–6)** एवं KML file **(ई–मेल द्वारा)** विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / दिनॉक

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2474/12-1(2) दिनांक 27/01/2022::

सेवा में

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/31257/2018

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/04/2020/एफ.सी./2501 दिनांक 07.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक-3021/13सी दिनांक 09.11.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) रुपये **18,00,720.00 (अट्ठारह लाख, सात सौ बीस)** मात्र कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक-1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि **रुपये 5,19,675.00 (पांच लाख, उन्नीस हजार, छः सौ पिचत्तर)** मात्र कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक-2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः-2 पर

Scanned with OKEN Scanner

6	State Govt. will upload the map indicating location of alternative examined at para D(ii)(a), Part I online.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक संरेखण से संबंधित मानचित्र छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। (संलग्नक–3)
7	राज्य शासन द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत की जायेगी तथा चयनित क्षेत्र का विवरण एवं KML file इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना (संलग्नक–4), वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का गूगल मानचित्र (संलग्नक–5) उपयुक्तता प्रमाण पत्र (संलग्नक–6) एवं KML file (संलग्नक–7 ई–मेल द्वारा) आदि विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2474 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 3021 /13सी. दिनांक 9/11/2022
सेवा में

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— जनपद— रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़—जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 हैं वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/31257/2018)

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/04/2020/एफ.सी./2501 दिनांक 07—02—2020।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:—

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासशोंधित) जमा की जायेगी।	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले खण्ड द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु 1800720.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढोतरी होती है, तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की धनराशि का भुगतान बढी हुई दरों पर वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। जिसकी वचनबद्वत्ता का प्रमाण—पत्र सलंग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आनॅलाइन वैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	NPV की धनराशि का भुगतान वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम से ही किया गया है। Online Generate चालान की छायाप्रति सलंग्न है।
5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।
6	State government will upload the map indicating location of alternative examined at para D (ii) (a), Part I online.	जियोरेफरेन्स मैप एवं टोपोशीट मानचित्रो की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित है।
7	राज्य शासन द्वारा 1230 पौधों के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत की जायेगी तथा चयनित क्षेत्र का विवरण एवं KML file इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	उक्त प्रस्ताव 1.00 हे. से कम है जिस कारण शर्त इस प्रस्ताव पर लागू नही है।

संलग्न :- N.P.V चालान की छायाप्रति - 4 प्रति में,
2- वचनबद्धता का प्रमाण पत्र - 4 प्रति में,
3- मानचित्रों की छायाप्रति - 4-4 प्रतियों में,

(इं. मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

11/11/2022

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -①

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-11-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6131257627
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD, UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	2320395/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Twenty Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

SBINR52021112653712926

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank of India ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग-02498 P.F.No.-6433045 26 NOV 2021 MAKER CHECKER

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896131257627
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank of India ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग-02498 P.F.No.-10038[illegible] 26 NOV 2021 BHAWNA MAKER CHECKER

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

y send a line of confirmation through

Executive Enginee.
Const.Div. P.W.D.
Ukhimath (Rudrapryag)

गांव - ल्वाड़ी

P.C. Attested

Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र-51

संलग्नक -②

परियोजना का नामः— मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन.पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Scanned with OKEN Scanner

सैलग्नक-3

टल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

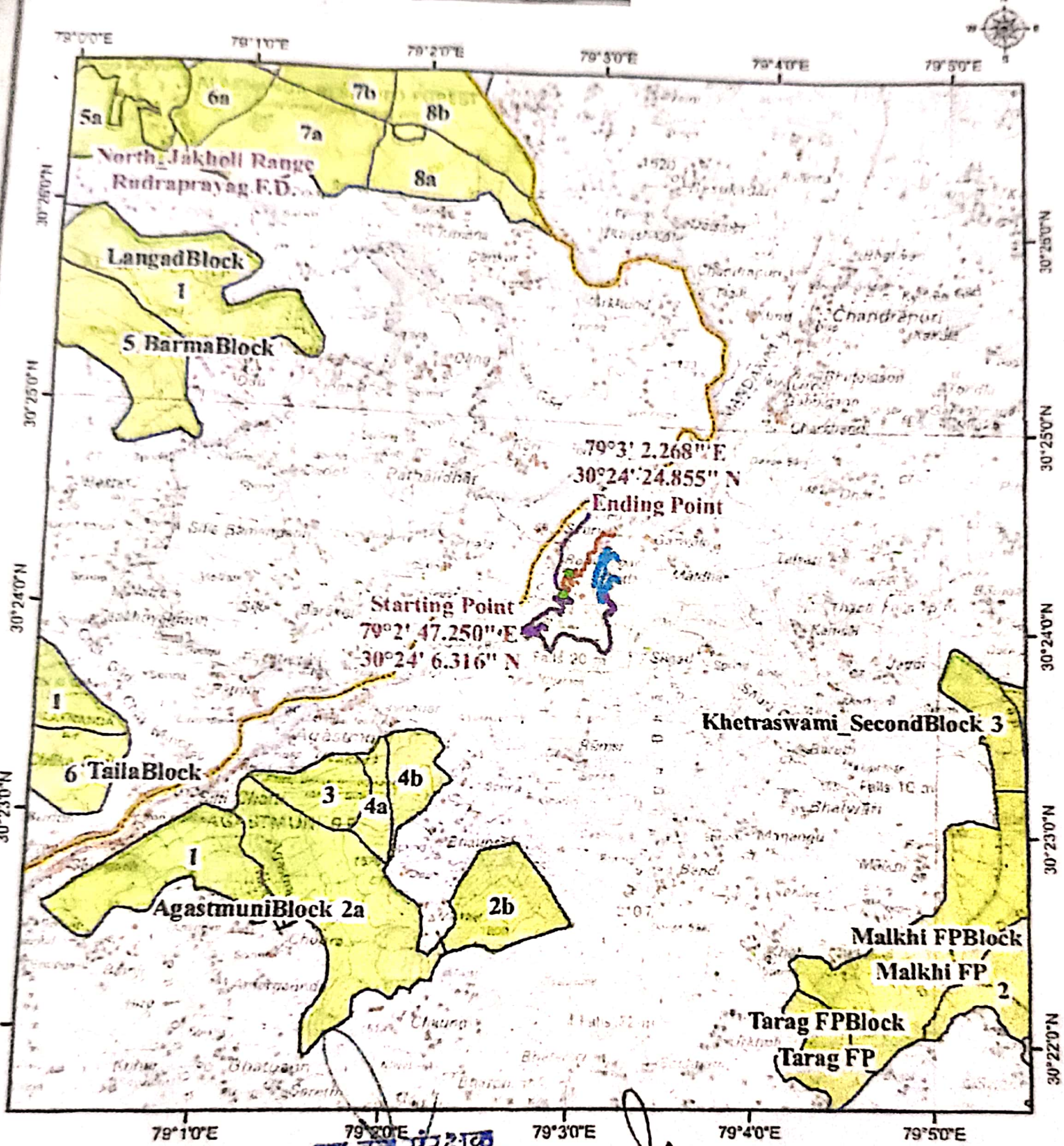

Legend

- Muck Dispsosal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Motor Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary

वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज

P.C.A

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

J.E

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 8

जियोरेफेरेन्स मैप – जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

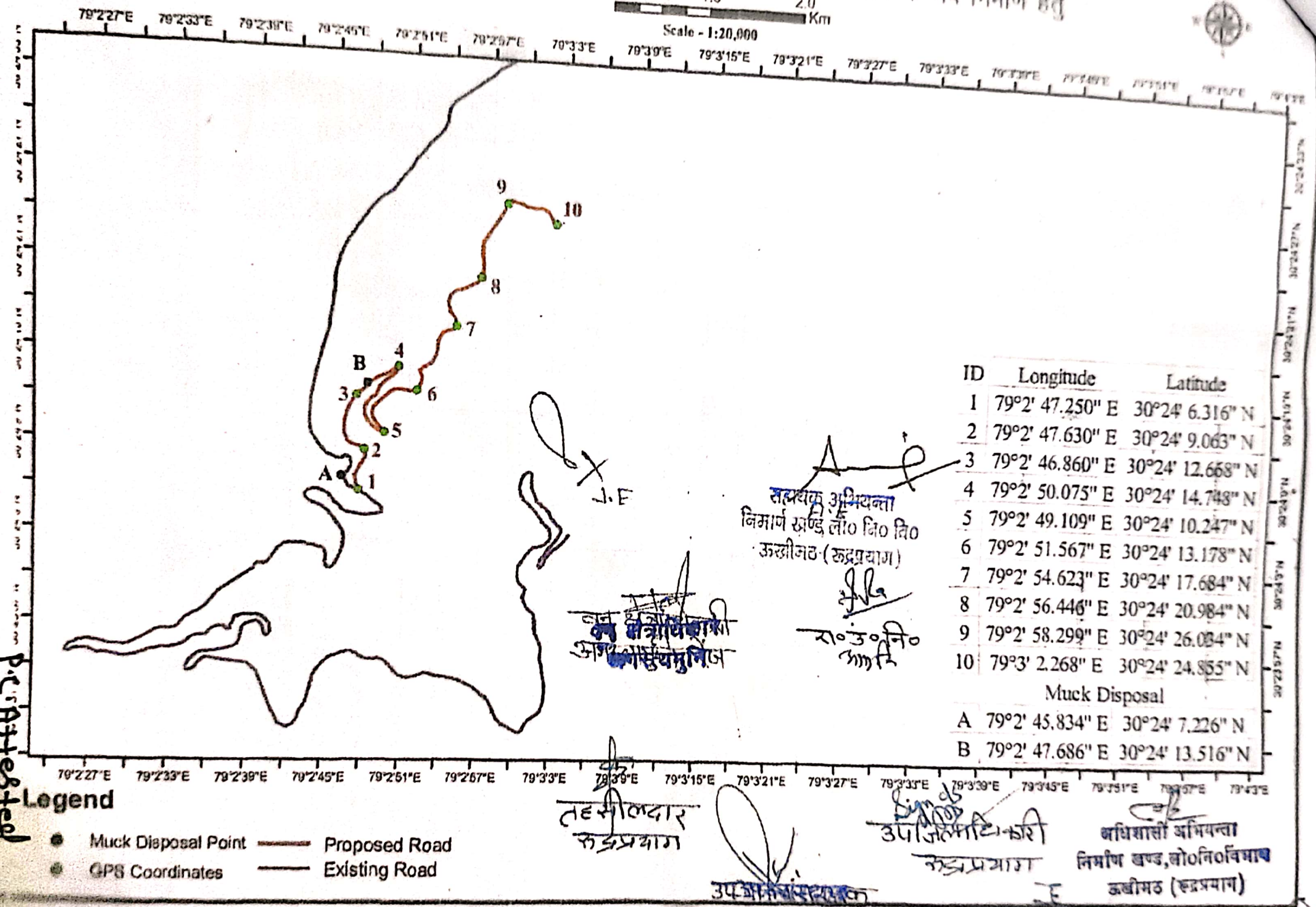

ID	Longitude	Latitude
1	79°2' 47.250" E	30°24' 6.316" N
2	79°2' 47.630" E	30°24' 9.063" N
3	79°2' 46.860" E	30°24' 12.668" N
4	79°2' 50.075" E	30°24' 14.748" N
5	79°2' 49.109" E	30°24' 10.247" N
6	79°2' 51.567" E	30°24' 13.178" N
7	79°2' 54.623" E	30°24' 17.684" N
8	79°2' 56.446" E	30°24' 20.984" N
9	79°2' 58.299" E	30°24' 26.034" N
10	79°3' 2.268" E	30°24' 24.855" N
	Muck Disposal	
A	79°2' 45.834" E	30°24' 7.226" N
B	79°2' 47.686" E	30°24' 13.516" N

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

रा० उ० नि०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

संलग्नक -4

प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाली वन भूमि 0.615 है0 वन भूमि के एवज में **0.615 ha. X 2 = 1.230 ha. X 1000 plant/ha.= 1230** पौधों के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन।

परियोजना का नामः— जनपद—रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़—जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का नाम— जाखाल क0सं0—5 कुल क्षेत्रफल :— 0.615 ha. area X 2 = **1.230 ha.**

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या— 1.230 ha. X 1000 plant/ha. = 1230 पौध

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या :— 1230	क्षे0 (है0)	रोपित पौध/है0	कुल पौध
	1.230	**1000**	**1230**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
1	ट्रीगाड क्रय करना	1230	सं0	1000.000	1230000.000
2	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1230	गढ्ढा	11.000	13530.000
3	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1230	पौध	10.000	12300.000
	योग — प्रथम चरण				**1255830.00**

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	1230	पौध	2.00	2460.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	1230	पौध	3.00	3690.00
3	पौध का ढुलान वाहन से 25 कि0मी0	1230	पौध	13.00	3997.50
4	ट्री गार्ड ढुलान करना	1230	L.S.	30.000	36900.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	1230	L.S.	45.000	55350.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	1230	पौध	4.00	4920.00
	योग— द्वितीय चरण				**107317.50**
	योग— प्रथम चरण + द्वितीय चरण				**1363147.50**
	कुल योग—				**1363147.50**

तृतीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	योग— तृतीय चरण				**14760.00**

चतुर्थ चरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	योग— चतुर्थ चरण				**14760.00**

पंचम चरण

Scanned with OKEN Scanner

	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	योग– पंचम चरण				14760.00
	छठवां चरण				
1	रोपण वर्षं के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	छठवां चरण का योग :–				14760.00
	सातवां चरण				
1	रोपण वर्षं के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	सातवां चरण का योग :–				14760.00
	आठवां चरण				
1	रोपण वर्षं के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	आठवां चरण का योग :–				14760.00
	नवां चरण				
1	रोपण वर्षं के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	नवें चरण का योग :–				14760.00
	दसवां चरण				
1	रोपण वर्षं के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.2300	है0	1000 प्रति माह / प्रति है0	14760.00
	दसवें चरण का योग :–				14760.00
	कुल योग––				1481227.50
	कुल धनराशि	प्रथम चरण			1255830.00
		द्वितीय चरण			107317.50
		तृतीय चरण			14760.00
		चतुर्थ चरण			14760.00
		पंचम चरण			14760.00
		षष्ठम चरण			14760.00
		सप्तम चरण			14760.00
		अष्टम चरण			14760.00
		नवम् चरण			14760.00
		दसवें चरण			14760.00
		कुल योग			1481227.50
	मृदा एवं जल सरंक्षण कार्य				319492.50
	कुल योग –––				1800720.00
	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर = 1464.00 रू0/पौध	1230	पौध		1800720.00

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -(5)

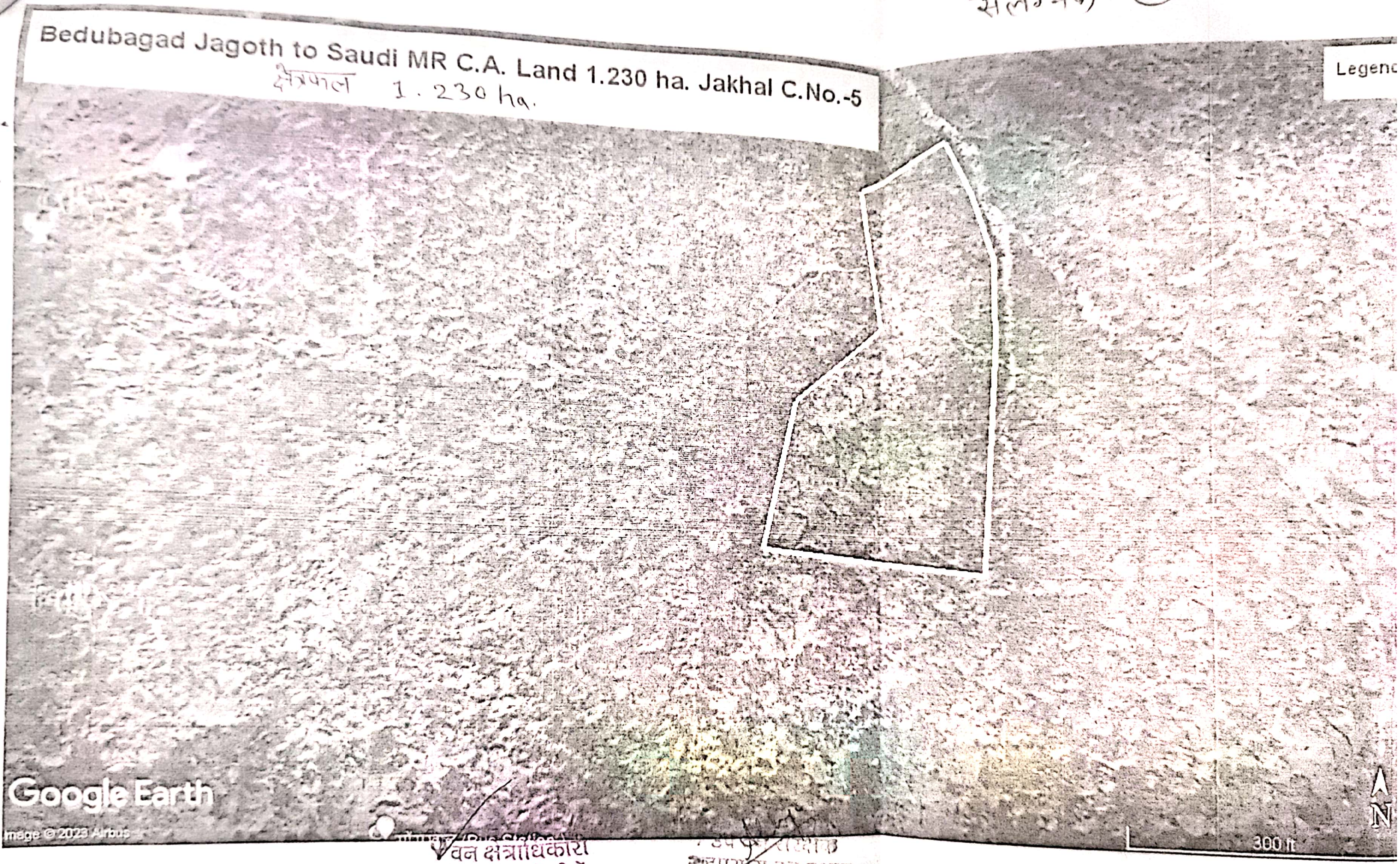

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्नक (6)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/31257/2018**

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.612 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **1.230 है0 जाखाल क0सं0–5** आरक्षित वन **भूमि** वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें०

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner